उत्तर प्रदेश शासन
वन अनुभाग-4
संख्या-96सी.एम. / 14-4-2014
लखनउ, दिनांक, 27 अक्टूबर, 2014

कार्यालय ज्ञाप

भारतीय वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम-1972 (एक्ट सं0-53) की धारा-6-8 तथा उसके अधीन बनाये गये उ0प्र0 वन्य जीव (संरक्षण) नियमावली, 1974 के नियम, 3-7 में प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत प्रदेश के वन्य जीवों के संरक्षण, परिरक्षण तथा उससे सम्बद्ध मामलों पर प्रदेश सरकार को सलाह देने के उददेश्य से शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0-3294/ 14-4-2014-809/1992 दिनांक 12 अगस्त, 2014 द्वारा गठित राज्य वन्य जीव बोर्ड में नामित गैर सरकारी निम्नलिखित सदस्यों की सदस्यता/नामांकन मुख्य सचिव कार्यालय उ0प्र0 के अशासकीय पत्र सं0-2467/पी.एस./2014 दिनांक 25 अक्टूबर, 2014 के अनुपालन में तत्काल प्रभाव से निरस्त किये जाने हेतु श्री राज्यपाल एतदद्वारा स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

क्रमांक	सदस्यों का नाम
1	श्रीमती अनीता यादव
2	श्री आर0एस0 भदौरिया, अवकाश प्राप्त, प्रमुख वन संरक्षक, वन्य जीव, उ0प्र0, लखनऊ
3	श्रीमती सोनिया धांगर, पत्नी श्री बब्लू धांगर, ग्राम मऊकला पो0 नरोखर, सोनभद्र।
4	श्रीमती लीला देवी, पत्नी श्री इंदर सिंह, ग्राम सोना, पो0 चन्दन चौकी, लखीमपुर खीरी।
5	श्री अर्जुन सिंह यादव, निवासी ग्राम पंडापुर, पो0 तारन, गाजीपुर।
6	सुश्री निहारिका सिंह, सी-61 कैलाश अपार्टमेंट, लाला लाजपतराय, नई दिल्ली।
7	श्री निशान्त जैन, निवासी मैसर्स प्रशान्त मेडिकल्स, मेन मार्केट, मेहरौनी, ललितपुर उ0प्र0।
8	श्री सिद्धार्थ सिंह, ई-3/ 137 विनीतखण्ड, गोमतीनगर लखनऊ।

(प्रतिभा सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रमुख वन संरक्षक, वन्य जीव, उ0प्र0, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वे कृपया उपरोक्त सभी संबंधित को अपने स्तर से भी सूचित करने का कष्ट करें।
2- उपरोक्त सभी संबंधित को सूचनार्थ।
3- स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव को, मुख्य सचिव कार्यालय के उपरोक्त पत्र दिनांक 25.10.2014 के सन्दर्भ में सूचनार्थ।

आज्ञा से,

(शहजादे लाल)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in